न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(सुश्री सुमन सोनल आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी)

प्रकरण संख्याः– 52 / 2016 रे.वा. निर्णय दिनांक– 8/07/2019

उनवान

1. श्री तरूणकुमार पिता मानमल जाति रावत आयु 35 वर्ष निवासी सदर बाजार भीम तहसील भीम जिला राजसमंद (राज.)

......वादी

बनाम

1. श्री राजेन्द्र सिंह पिता श्री धूलसिंह जाति रावत आयु व्यस्क निवासी बावडी की गुआर कुशलपुरा तहसील भीम जिला राजसमंद (राज.)

......प्रतिवादी

वाद–पत्रअन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट.

यह कि ग्राम बरार पटवार हल्का बरार तहसील भीम जिला राजसमन्द मे निम्न आराजी वादी के खाते व कब्जे में चली आ रही है जिसे इस वाद में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जाएगा खाता संख्या 144 के आराजी खसरा संख्या 6586/1 कुल किता 1 रकबा 6 बिस्वा 10 बिस्वासी यह भूमि राजस्व अभिलेख में वादी के नाम ही दर्ज है वादी इस भूमि का लगान राजस्व विभाग में जमा कराता चला आ रहा है। प्रतिवादी ने जबरन लाठी के बल पर वादी को वादग्रस्त आराजी मे से 1/2 बिस्वा भूमि से बेदखल कर जबरन अनाधिकार व अवैध रूप से कब्जा कर लिया हैवादी सीधा सादा व्यक्ति है प्रतिवादी काफी उची पंहुच वाला बाहूबली व्यक्ति है तथा उसने अपने प्रभाव व ताकत का इस्तेमाल करके जबरन वादी की उक्त वादग्रस्त भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि पर जबरन लाटी के बल पर कब्जा कर लिया है तथा वादी के बार बार मौखिक रूप से प्रतिवादी को वादग्रस्त भूमि का कब्जा वापस वादी को सुपुर्द करने के लिये कहा किन्तु प्रतिवादी द्वारा कब्जा वापस सौपने से साफ मना करने पर वादी के पास यह वाद पेश करने के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नही होने से वादी द्वारा उक्त वादपत्र माननीय न्यायालय में पेश किया है वादी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार का तकार है तथा प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त आराजियात की 1/2 बिस्वा भूमि पर बिना अधिकार के गैरकानूनी रूप से जबरन लाटी के बल पर कब्जा कर लिया है जिसे बेदखल कर वादी को कब्जा दिलवाना आवश्यक है।

अतः वादी का वादपत्र अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते प्राप्त करने बाबत कब्जा वादी वकील द्वारा लिखित बहस पेश की गई। पत्रावली का अवलोकन किया। क्योंकि प्रकरण हकहकूक का होने से एकतरफा कार्यवाही करते हुए इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादी वादग्रस्त आराजियात खसरा नं. 6586/2 रकबा 6 बिस्वा 10 बिस्वासी किस्म बारानी2 में से 1/2 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी द्वारा किया गये कब्जे से प्रतिवादी को बेदखल कर उक्त आधा बिस्वा भूमि का कब्जा वादी को पुनः दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना में तहसीलदार भीम को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, भीम

ब इजलास सुश्री सुमन सोनल आर.ए.एस. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीम।

1. श्री तरूणकुमार पिता मानमल जाति रावत आयु 35 वर्श निवासी सदर बाजार भीम तहसील भीम जिला राजसमंद (राज.)

.... वादी

बनाम

1. श्री राजेन्द्र सिंह पिता श्री धूलसिंह जाति रावत आयु व्यस्क निवासी बावड़ी की गुंआर कुशलपुरा तहसील भीम जिला राजसमंद (राज.)

......प्रतिवादी

वाद–पत्रअन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट.

मुकदमा नं 52/2016 रे.वा.

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है प्रतिवादी वादग्रस्त आराजियात खसरा नं. 6586/2 रकबा 6 बिस्वा 10 बिस्वासी किस्म बारानी2 में से 1/2 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी द्वारा किया गये कब्जे से प्रतिवादी को बेदखल कर उक्त आधा बिस्वा भूमि का कब्जा वादी को पुनः दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
भीम जिला राजसमंद

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

ददई	रूपया	पै.	मुद्दायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा	2	00	स्टाम्प वकालतनाम		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत	2	00	म्हनताना वकील) पर		
महनताना वकील) पर			खर्चा गवाहान	छपस	
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् ईजराय हुक्मनामा	1	00	मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान	6	00	मीजान	शून्य	

Scanned by CamScanner